टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

वर्ष 2014-15 के
वार्षिक लेखे

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2014–15

1. सामान्य

वित्तीय विवरण के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 विद्युत अधिनियम, 2013 लागू सीईआरसी विनियमनों के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी किए गये विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और व्यावहारिक आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. सहायता अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्र/राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ–साथ उपभोक्ता अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी चरण – I के लिए परियोजना लागत के सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अंशदान को शुरू में आरक्षित पूंजी के रूप में माना जाता है तथा बाद में उसी अनुपात में आयकर के रूप में समायोजित किया जाता है, जितना कि इस अंशदान/ सहायता अनुदान में अधिग्रहित परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला गया है।

4. अचल परिसंपत्तियां

i. अमूर्त परिसंपत्तियों सहित अचल परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण/निर्माण लागत पर बताई गई हैं। एक से अधिक उत्पादन इकाइयों की साझा परिसंपत्तियां और प्रणालियां अभियांत्रिकी प्राक्कलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लेकिन खासतौर से निर्माण के लिए अधिग्रहित / निर्मित अचल परिसंपत्तियों को जिन्हें मुख्य अचल परिसंपत्ति के साथ विलय कर दिया जाएगा अथवा जो निर्माण अवधि के बाद उपयोगी नहीं रहेंगी, उनके साथ पूंजीकृत किए जाने के लिए अचल परिसंपत्तियों की मुख्य मद के चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में ली जाती है।

ii. भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियां, जो कंपनी की नहीं है, परंतु कंपनी के नियंत्रण एवं कब्जे में अचल परिसंपत्तियों में शामिल की जाती हैं।

iii. विशेष भू–अर्जन अधिकारी (एसएलएओ)/ पट्टे के माध्यम से अधिग्रहित भूमि के संबंध में वे भू–भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहित किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी भूमि से बेदखल किए गये व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी व्यय को लागत के परकिलन में शामिल नहीं किया जाता। पट्टे पर मिली जमीन को भुगतान की गई पट्टे की राशि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

iv. उस मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान करना बाकी है, लेकिन परिसंपत्तियां पूर्ण हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

5. चल रहा पूंजीगत कार्य

i. पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास, नई टाऊनशिप के निर्माण, वनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्चे) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्ट पूर्व

शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के शुरू हो जाने पर उसे भू–अवर्गीकृत में पूंजीकृत किया जाएगा।

ii. निक्षेप निर्माण कार्य संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

iii. आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर मिली आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

iv. ठेकों के मामले में मूल्य अंतर के लिए दावों को स्वीकार कर लिए जाने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

v. कारपोरेट आफिस के प्रशासन एवं सामान्य शिरोपरि खर्चों/सेवा केन्द्रों के व्यय को अचल परिसंपत्ति के निर्माण में डाल दिया जाता है और नियमबद्ध आधार पर चिन्हित कर इन्हें निर्माण परियोजनाओं को आबंटित कर दिया जाता है।

कारपोरेट आफिस/सेवा केन्द्रों के प्रशासन और सामान्य शिरोपरि खर्चों सहित वर्ष के दौरान निर्माण व्यय (निवल) को चल रहे पूंजीगत कार्य में उसमें वर्धनों के आधार पर जोड़ लिया जाता है और जब तक वे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक उन्हें परिसंपत्तियों की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

vi. परियोजना के पुनर्वास कार्यों के संबंध में निर्माण कार्य के दौरान प्रासंगिक व्यय (ई डी सी) को अग्रेनीत कर नीति संख्या–5 (i) के अनुसार संव्यवहृत किया जाता है।

6. ऋण लागत

i. विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधी जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

ii. सामान्यतः उधार ली गयी निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत जो, विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हो, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

i. विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों का हिसाब–किताब उन दरों पर किया जाता है, जिन पर सौदा किया गया था।

ii. तुलन–पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदें उस तारीख को बन्द दर पर प्रयोग की जाती है। गैर मुद्रा मदों का हिसाब–किताब उस विदेशी मुद्रा दर पर किया जाता है जो सौदे की तारीख पर थी।

iii. 01.04.2004 से पहले किए गये लेन–देन से उत्पन्न ऋणों/जमा राशियों/अचल परिसंपत्तियों से संबंधित देय राशियों/प्रगति पर पूंजीगत कार्यों में विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/ समायोजित किया जाता है। तथापि 01.04.2004 को या बाद में किए गए लेन–देन से उत्पन्न विनिमय दरों को एएस–11 (संशोधित 2003) 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

iv. अन्य विनिमय अंतर दरों को उस अवधि के दौरान, जिनमें ये उत्पन्न होते हैं, आय एवं व्यय के तौर पर मान्यता दी जाती है।

8. मूल्यह्रास

i. मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने दर अधिसूचित नहीं किया है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है।

विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों

इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में बढ़ोत्तरी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

ii. 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

iii. 1500/– रुपये से अधिक पर 5000/– रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

iv. परिसंपत्तियों को 'उपयोग के लिए तैयार होने' की तिथि से प्रभारित किया जाता है।

v. लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

vi. कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

मशीनों के कल–पुर्जों जिनका प्रयोग अचल परिसंपत्ति के मामले में अनियमित रूप से किया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीकृत किया गया है तथा संबंधित संयंत्र और मशीनरी की बाकी उपयोगिता अवधि के दौरान मूल्यह्रासित किया गया है।

9. भंडार तथा अतिरिक्त कल–पुर्जे

i. भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत आधार या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ii. अप्रचलित तथा अप्रयोज्य सामग्री तथा कल–पुर्जों के मूल्य में गिरावट समीक्षा के बाद निर्धारित की जाती है और उनके लिए प्रावधान किया जाता है।

10. आय तथा व्यय

आय को मान्यता

i. ऊर्जा बिक्री का लेखाकरण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रशुल्क के अनुसार रखा जाता है। उस पावर स्टेशन के मामले में, जहां अंतिम टैरिफ अधिसूचित नहीं की गयी है, राजस्व की मान्यता समुचित प्राधिकरण अर्थात सीईआरसी द्वारा बनाए गये लागू विनियमों में दी गई विधि और मापदंडों के आधार पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभारों' की अधिसूचना लंबित होने तक वसूली के लिए अपनायी गयी अनंतिम दर पर निर्भर नहीं होगी। विदेशी मुद्रा वाले ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन के प्रति वसूली/वापसी का हिसाब वर्ष–दर–वर्ष आधार पर रखा जाता है।

ii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशि का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानदंडों या लाभार्थियों के साथ हुए करारों के आधार पर रखा जाता है। जिन विद्युत स्टशनों के मामले में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नहीं किया गया है/ लाभार्थियों के साथ करार नहीं किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशियों का हिसाब अंनतिम आधार पर रखा जाता है।

iii. ऊर्जा बिक्री तथा परिनिर्धारित नुकसानी/वारंटी दावों के लिए विविध लेनदारों से वसूल किए जाने वाले अधिभार को वसूली/स्वीकृति की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत नहीं माना जाता तथा इसकी पावती आधार के सुनिश्चित होने पर इसे हिसाब में शामिल किया जाता है।

iv. परामर्शी कार्य से प्राप्त आय का हिसाब निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति / तकनीकी मूल्यांकन आधार पर या संबंधित परामर्शी अनुबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाने वाली लागत के आधार पर किया जाएगा।

v. ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों पर मिले ब्याज को संबंधित चालू पूंजीगत कार्य के खाते में क्रेडिट कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर लगी लागत में से घटा दिया जाता है।

vi. कबाड़ के मूल्य का हिसाब उसकी बिक्री के समय किया जाता है।

vii. बीमाकर्ता द्वारा सुनिश्चित वसूली के लिए बीमा दावों की प्राप्ति/स्वीकृति का हिसाब वर्ष में किया जाता है।

व्यय

viii. मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते को प्रभारित की जाती है।

ix. प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले दिए गए खर्च या पूर्वाधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

x. वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले हुई निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

xi. व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्चे राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

xii. पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का विर्निदिष्ट प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

xiii. सीएसआर गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार कोई खर्च न की गई धनराशि को समाप्त न किए जाने योग्य निधि में अलग से रखा जाएगा।

xiv. तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूलनीय न घोषित किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को मामले दर मामले आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब तक अंततः उगाही करना संभव न हो सके।

11. कर्मचारियों के हितलाभ

i. कर्मचारियों को उपदान (ग्रैच्युटी) के संबंध में सेवानिवृति लाभों एवं अवकाश नगदीकरण तथा सेवानिवृति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मोमेन्टो, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार खर्च के लिए देनदारी, जैसा कि एएस–15 में परिभाषित किया गया है, का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii. कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक ट्रस्ट स्थापित किया है और इस कोष में कंपनी के अंशदान को हर साल व्यय से प्रभारित किया जाता है। निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

12. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को पूरी तरह से व्यय के वर्ष में प्रभारित किया जा रहा है।

13. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर को आय का हिसाब लगाने और वर्ष की कर योग्य आय जोड़ने के बीच समय में अंतर से मान्यता दी जाती है और कर की दरों और तुलन–पत्र की तारीख तक पारित किये गए कानूनों के आधार पर होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस युक्तिसंगत निश्चितता की सीमा तक मान्यता दी जाती है और अग्रेनीत किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध हो जाएगी जिसमें से इन आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली संभव हो सकेगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते उस हद तक करों के रूप में होने वाले खर्चों में जोड़े/घटाएं जाते हैं जिस हद तक उन्हें भविष्य में लाभार्थियों से वास्तविक अदायगी आधार पर प्रभारित किया जा सकता है।

14. नगदी प्रवाह विवरण

नगद प्रवाह विवरण लेखाकरण मानक (एएस)–3 के ''नगदी प्रवाह विवरण'' से संबंधित निर्धारित परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है।

तुलन–पत्र 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देयताएं					
शेयर धारकों की निधियां					
क) शेयर पूंजी	1	3,52,888		3,47,309	
ख) प्रारक्षित निधि और अतिरिक्त राशि	2	4,30,943	7,83,831	3,85,815	7,33,124
गैर चालू देनदारियां					
क) दीर्घकालिक ऋण	3	3,27,566		3,07,082	
ख) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	4	23,094		23,302	
ग) दीर्घकालिक प्रावधान	5	32,246	3,82,906	22,338	3,52,722
चालू देनदारियां					
क) अल्पकालिक ऋण	6	43,634		63,359	
ख) व्यापार देयताएं	7	72		24	
ग) अन्य चालू देनदारिया	8	60,187		69,917	
घ) अल्पकालिक प्रावधान	9	37,047	1,40,940	16,175	1,49,475
योग			**13,07,677**		**12,35,321**
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
क) अचल परिसंपत्तियां					
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	7,95,592		8,43,416	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	80		74	
(iii) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	11	1,67,420		1,11,712	
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	11	33	9,63,125	0	9,55,202
ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12		45,794		32,108
ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	13		41,181		57,702
घ) अन्य गैर– चालू परिसंपत्तियां	14		143		162

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
चालू परिसंपत्तियां					
क) वस्तु सूचियां	15	5,094		3,381	
ख) प्राप्य व्यापार	16	2,38,719		1,72,416	
ग) नकदी तथा नकदी समकक्ष राशियां	17	4,135		7,742	
घ) अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिम	18	7,711		5,437	
ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	1,775	2,57,434	1,171	1,90,147
योग			**13,07,677**		**12,35,321**

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F6445

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 06500954

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एंड भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत भाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832

दिनांक : 31.07.2015
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	20		2,39,716		2,17,376
अन्य आय	21		1,077		862
कुल राजस्व			**2,40,793**		**2,18,238**
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	22		22,438		18,854
वित्त लागत	23		43,878		53,027
मूल्यह्रास और परिशोधन	10		48,386		48,122
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	24		17,855		15,370
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	25		12,638		0
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में			7,801		0
प्रशुल्क समायोजन (विनियामक देनदारी)			0		15,192
कुल व्यय			**1,52,996**		**1,50,565**
पूर्वावधि मदों और टैक्स से पूर्व लाभ			87,797		67,673
पूर्वावधि व्यय/(आय)–निवल	26		13,992		1,076
कर पूर्व लाभ			73,805		66,597
कर व्यय	27				
वर्तमान कर					
आयकर		18,323		13,952	
संपत्ति कर		53	18,376	33	13,985
आस्थगित कर–परिसंपत्ति		(13,686)	(13,686)	(6,920)	(6,920)
वर्ष के लिए लाभ			**69,115**		**59,532**

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति इक्विटी शेयर आय			
मूल (₹)		197.60	172.88
तनूकृत (₹)		197.60	172.88

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F6445

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन न. 06500954

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन न. 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एंड भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत भाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832

दिनांक : 31.07.2015
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह विवरण

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ तथा पूर्वावधि समायोजन		**87,797**		**67,673**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
मूल्यह्रास	48,037		49,028	
प्रावधान	12,638		-	
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में	7,801		-	
आस्थगित मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम	0		(1,619)	
ऋणों पर ब्याज	43,878		53,027	
पूर्वावधि समायोजन	(13,992)	98,362	(1,076)	99,360
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		**1,86,159**		**1,67,033**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
माल सूची	(1,775)		(823)	
प्राप्य व्यापार	(66,303)		58,285	
अन्य परिसंपत्तियां	(604)		(586)	
ऋण और अग्रिम (वर्तमान + गैर वर्तमान)	(17,474)		(3,555)	
व्यापार देय और देनदारियां	(846)		1,711	
प्रावधान (वर्तमान + गैर वर्तमान)	30,780	(56,222)	5,177	60,209
प्रचालनों से प्राप्त नगदी		**1,29,937**		**2,27,242**
निगम कर		(18,376)		(13,985)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**1,11,561**		**2,13,257**
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तनः–				
अचल परिसंपत्तियां तथा सीडब्ल्यूआईपी	(62,625)		(52,661)	
निर्माण स्टोर	19		(13)	
पूंजी अग्रिम	11,344		2,905	
विविध व्यय (समायोजन की सीमा तक)	-		-	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		**(51,262)**		**(49,769)**

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
ग. वित्तीय गतिविधियों के नगदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	5,579		3,000	
अन्य पूंजीगत प्रारक्षित निधि	(472)		0	
उधारियां	(8,285)		(1,07,328)	
ऋणों पर ब्याज	(43,878)		(53,027)	
लाभांश तथा लाभांश पर कर	(16,850)		0	
वित पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह(ग)		**(63,906)**		**(1,57,355)**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**(3,607)**		**6,133**
ड. आरंभिक नगदी तथा नगदी समकक्ष		**7,742**		**1,609**
च. अंतिम नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ + ड.)		**4,135**		**7,742**

टिप्पणी :

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में 37 लाख ₹ (पूर्ववर्ती वर्ष में 50 लाख ₹) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकडों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहबद्ध/पुनःव्यवस्थित/पुनः दर्शित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)	**(श्रीधर पात्रा)**	**(आर. एस. टी. शाई)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. F6445	डीआईएन न. 06500954	डीआईएन न. 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एंड भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत भाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832

दिनांक : 31.07.2015
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी :– 1

शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत					
1000/–रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी		3,52,88,817	3,52,888	3,47,30,917	3,47,309
1000/–रु. प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**3,52,88,817**	**3,52,888**	**3,47,30,917**	**3,47,309**

टिप्पणी :– 1.1

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्रारंभिक		3,47,30,917	3,47,309	3,44,30,917	3,44,309
निर्गत		5,57,900	5,579	3,00,000	3,000
घटौती		0	0	0	0
अंतिम		**3,52,88,817**	**3,52,888**	**3,47,30,917**	**3,47,309**

टिप्पणी :– 1.2

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
I. भारत सरकार		2,59,39,417	73.51	2,53,81,517	73.08
II. उत्तर प्रदेश सरकार		93,49,400	26.49	93,49,400	26.92
कुल		**3,52,88,817**	**100.00**	**3,47,30,917**	**100.00**

टिप्पणी :– 2

आरक्षित एवं अधिशेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
आरक्षित पूंजी					
उ.प्र.सरकार से सिंचाई क्षेत्र के प्रति प्राप्त अंशदान		1,44,118		1,44,118	
घटाएं:					
मूल्यह्रास में समायोजन		47,580	96,538	40,915	1,03,203
अन्य आरक्षित पूंजी					
विश्व बैंक से पीएचआरडी अनुदान (वीपीएचईपी परियोजना के लिए)					
आरंभिक शेष		472		472	
वर्ष के दौरान प्राप्त		0		0	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		(472)	0	0	472
उप जोड़ "क"			**96,538**		**1,03,675**
लाभ और हानि लेखे में अधिशेष					
आरंभिक शेष		2,82,140		2,22,608	
जोड़ें: पी एंड एल विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ		69,115		59,532	
विनियोजन के लिए कुल लाभ			**3,51,255**		**2,82,140**
लाभांश					
अंतरिम लाभांश		0		0	
प्रस्तावित लाभांश		14,000	14,000	0	0
लाभांश पर कर					
लाभांश वितरण कर अंतरिम		0		0	
लाभांश वितरण कर प्रस्तावित		2,850	2,850	0	0
उप जोड़ "ख"			**3,34,405**		**2,82,140**
कुल (क+ख)			**4,30,943**		**3,85,815**

2.1 पीएचआरडी अनुदान को सीडब्ल्यूआईपी के साथ वीपीएचईपी के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण व्यय के संबंध में शामिल किया गया है।

टिप्पणी :– 3

दीर्घकालिक ऋण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
क. प्रतिभूत					
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि.(पीएफसी) –78302001 (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(15 जुलाई, 2005 से 15 अप्रैल, 2015 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, जिस पर 9.75 प्रतिशत से 10.75 प्रतिशत के बीच फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			0		3,015
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी) –78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(15 अक्तूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 12.50 प्रतिशत की दर से फलोटिंग ब्याज दर लागू है)			67,708		76,736
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302002 (केएचईपी के लिए)#					
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 12.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			67,275		78,975
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए)# (यूए–जीई–पीएसयू–033 –2010– 3754)					
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.75 से 12.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			43,796		50,804
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी)–330001 (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय फ्लोटिंग ब्याज दर 11.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के बीच)			58,536		71,221

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई)– 32677052247 (टिहरी पीएसपी के लिए)## स्टेट बैंक आफ इंडिया (अगस्त 2016 से मई 2026 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर @ आधार दर +1.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात 11.2 प्रतिशत)			73,999		17,000
कुल (क)			**3,11,314**		**2,97,751**
ख. अप्रतिभूत **विदेशी मुद्रा ऋण** **(भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)** **विश्व बैंक ऋण–8078–आईएन (वीपीएचईपी के लिए)$** (15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों छमाही किश्तों में प्रतिदेय ब्याज दर @ एलआईबीओआर+भिन्नता विस्तार प्रतिवर्ष अर्थात 0.83 प्रतिशत)			16,252		9,331
कुल (ख)			**16,252**		**9,331**
कुल (क+ख)			**3,27,566**		**3,07,082**

* टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल उपस्करों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण, अन्य उधारियों के अंतर्गत नहीं आते हैं टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी अधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

\# काटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण।

टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण।

$ संबंधित ऋण रैंकिग समरूप के तहत वित्त पोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित ।

इसमें वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी :– 4

अन्य दीर्घकालिक देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के बाबत आस्थगित राजस्व					
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		21,271		22,890	
जोड़ें: वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व		0		0	
घटाएं:					
वर्ष के दौरान समायोजित		0	21,271	1,619	21,271
देनदारियां					
पूंजी व्यय के लिए					
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए		0		0	
अन्यों के लिए		203	203	12	12
ठेकेदारों आदि से जमा, प्रतिधारण		1,620		2,019	
अन्य देनदारियां		0	1,620	0	2,019
कुल			**23,094**		**23,302**

4.1 मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) के तहत दिखाई गई राशि टैरिफ अवधि 2004–09 के दौरान एकत्रित कर ली गई है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009–2014 में एएडी का प्रावधान वापस ले लिया गया है। तदनुसार परवर्ती वर्षों में एएडी के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाएगा।

टिप्पणी :– 5

दीर्घकालिक प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष लिए			31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	प्रयोग	
I. कर्मचारियों से संबंधित		22,090	11,840	(347)	(1,585)	31,998
II. अन्य		248	0	0	0	248
कुल		**22,338**	**11,840**	**(347)**	**(1,585)**	**32,246**
पूववर्ती वर्ष के आंकड़े		**20,305**	**5,645**	**(3,158)**	**(454)**	**22,338**

कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में एएस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 29.16 में कर दिया गया है।

टिप्पणी :– 6

अल्पकालिक उधारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण					
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)*			43,634		63,359
पंजाब नेशनल बैंक (फ्लोटिंग दर आधार दर अर्थात 10.25 प्रतिशत)					
कुल			**43,634**		**63,359**

* टिहरी चरण–I एवं कोटेश्वर एचईपी के कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार के 43634 लाख रु. का ओडी सुरक्षित है।

टिप्पणी :– 7

व्यापार देय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
व्यापार देय–एमएसएमईडी			0		0
व्यापार देय–एमएसएमईडी से इतर			72		24
कुल			**72**		**24**

टिप्पणी :– 8

अन्य वर्तमान देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता					
क. प्रतिभूत*			43,436		52,480
(भारतीय मुद्रा में ऋण)					
कुल (क)			**43,436**		**52,480**
देनदारियां					
पूंजी व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		0		0	
अन्य के लिए		5,970	5,970	6,532	6,532
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि		2,539		2,871	
अन्य देनदारियां		3,372	5,911	2,987	5,858
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं					
वित्तीय संस्थाएं		4,870		5,047	
अन्य देनदारियां		0	4,870	0	5,047
कुल			**16,751**		**17,437**
कुल देनदारियां			**60,187**		**69,917**

*प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–3 में दिए गए हैं।

टिप्पणी :– 9

अल्पकालिक प्रावधान

राशि लाख ₹ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष लिए			31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	प्रयोग	
I. निर्माण कार्य		1,294	16	(209)	(301)	800
II. कर्मचारियों से संबंधित		13,372	7,450	(713)	(4,256)	15,853
III. लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम)		0	14,000	0	0	14,000
IV. लाभांश वितरण कर (अंतरिम एवं अंतिम)		0	2,850	0	0	2,850
III. अन्य		1,509	11,708	(217)	(9,456)	3,544
कुल		**16,175**	**36,024**	**(1,139)**	**(14,013)**	**37,047**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**13,031**	**15,100**	**(4,426)**	**(7,530)**	**16,175**

कर्मचारियों के हित लाभ के संबंध में एएस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 29.16 में कर दिया गया है।

टिप्पणी :– 10
अचल परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31 मार्च, 2015 के अनुसार	1 अप्रैल, 2014 के अनुसार	1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिकी/समायोजन	31 मार्च, 2015 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार	31 मार्च, 2014 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
लीज होल्ड परिसंपत्तियां										
1. लीज होल्ड भूमि	591	9	-	600	48	21	-	69	531	543
अन्य परिसंपत्तियां										
2. फ्री होल्ड भूमि	3,753	89	-	3,842	-	-	-	-	3,842	3,753
3. अवर्गीकृत भूमि	1,48,889	3,993	-	1,52,882	31,712	5,334	17	37,063	1,15,819	1,17,177
4. भवन	76,714	2,014	(72)	78,656	9,085	2,651	60	11,796	66,860	67,629
5. अस्थायी भवन ढांचे	968	22	-	990	968	2	17	987	3	-
6. सड़क, पुल तथा पुलिया	12,997	515	-	13,512	1,317	462	-	1,779	11,733	11,680
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,380	97	-	1,477	348	72	7	427	1,050	1,032
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	2,045	55	-	2,100	1,118	52	-	1,170	930	927
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,30,970	133	(2)	2,31,101	61,591	12,248	16	73,855	1,57,246	1,69,379
10. ई.डी.पी. मशीनें	1,307	339	(349)	1,297	931	92	(246)	777	520	376
11. विद्युत संस्थापनाएं	859	50	-	909	207	51	-	258	651	652
12. पारेषण लाइने	1,872	522	-	2,394	541	121	-	662	1,732	1,331
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	4,015	592	4	4,611	1,409	253	(1)	1,661	2,950	2,606
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	1,763	123	(2)	1,884	558	114	(1)	671	1,213	1,205
15. वाहन	1,168	180	(39)	1,309	543	68	(29)	582	727	625
16. रेलवे साइडिंग	122	-	-	122	24	4	-	28	94	98
17. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,10,286	852	(3,860)	5,07,278	1,40,984	26,807	(877)	1,66,914	3,40,364	3,69,302
18. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,37,804	2,137	(26)	1,39,915	42,726	7,437	445	50,608	89,307	95,078
19 निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो कम हो, में अप्रयोज्यनीय/अप्रचलित आस्तियां	23	-	(3)	20	-	-	-	-	20	23
20. ऐसी आस्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं हैं।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़	**11,37,526**	**11,722**	**(4,349)**	**11,44,899**	**2,94,110**	**55,789**	**(592)**	**3,49,307**	**7,95,592**	**8,43,416**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**11,19,940**	**10,900**	**6,686**	**11,37,526**	**2,40,442**	**55,246**	**(1,578)**	**2,94,110**	**8,43,416**	**8,79,498**
अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां साफ्टवेयर	337	39	-	376	263	33	-	296	80	74
उप जोड़	**337**	**39**	**-**	**376**	**263**	**33**	**-**	**296**	**80**	**74**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**337**	**-**	**-**	**337**	**228**	**35**	**-**	**263**	**74**	**109**
मूल्यह्रास का ब्यौरा					**चालू वर्ष**		**वर्ष गत**			
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास					772		602			
लाभ हानि लेखा को हस्तांरित मूल्यह्रास					48,386		48,122			
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान–आरक्षित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन					6,664	55,822	6,557	55,281		
वर्ष के दौरान 1500.00 रु. से अधिक परंतु 5000.00 रु. से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया					15		16			

10.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4X100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को हस्तांतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रु. के कल्पित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

टिप्पणी :– 11

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 14 की स्थिति अनुसार	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष लिए			31 मार्च, 2015 की स्थिति अनुसार
			वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	
निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		4,636	1,212	(103)	(1,429)	4,316
सड़क, पुल तथा पुलिया		924	696	(96)	(510)	1,014
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		44	20	-	(53)	11
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		24,855	36,202	(36)	(502)	60,519
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जल मार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार अन्य जलीय कार्य		63,756	23,944	(721)	(3,341)	83,638
जलागम क्षेत्र वनीकरण		181	247	-	-	428
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		2,260	669	-	(323)	2,606
ऐसी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं हैं।		-	-	-	-	-
अन्य		383	24	(50)	(333)	24
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		10,095	141	(472)	-	9,764
विनिमय भिन्नता		-	-	-	-	-
ब्याज लंबित आबंटन	23	-	-	-	-	-
निर्माण के दौरान व्यय	11.1	1,633	2,105	(1,633)	-	2,105
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय (सांकेतिक लागत तथा किराए की निवल वसूलियां)		2,945	524	(216)	(258)	2,995
योग		**1,11,712**	**65,784**	**(3,327)**	**(6,749)**	**1,67,420**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**78,519**	**40,249**	**(1,005)**	**(6,051)**	**1,11,712**
अमूर्त–पूंजीगत कार्य प्रगति पर अमूर्त– परिसंपत्तियां विकासाधीन		0	47	0	(14)	33
उप जोड़		**0**	**47**	**0**	**(14)**	**33**

टिप्पणी :– 11.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	22				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		13,954		9,531	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		878		643	
पेंशन निधि		645		515	
उपदान		1,420		527	
कल्याण		167	17,064	113	11,329
अन्य व्यय	24				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		107		91	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		383	490	365	456
दर एवं कर			27		6
विद्युत एवं ईंधन			540		360
बीमा			9		8
संचार			140		129
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयत्र एवं मशीनरी		2		0	
स्टोर एवं अतिरिक्त कलपुर्जों की खपत		1		0	
भवन		289		141	
अन्य		401	693	179	320
यात्रा एवं वाहन			425		374
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			267		198
सुरक्षा			199		192
प्रचार तथा जनसंपर्क			90		51
अन्य सामान्य व्यय			924		1,719
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			40		5
मूल्यह्रास	10		772		602
कुल व्यय (क)			**21,680**		**15,749**
प्राप्तियां					
अन्य आय	21				
ब्याज					
बैंक जमा से		10		5	
कर्मचारियों से		145		101	
अन्य से		5	160	4	110

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
मशीन किराया प्रभार			2		1
किराया प्राप्तियां			69		64
विविध प्राप्तियां			88		37
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			91		121
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			7		0
कुल प्राप्तियां (ख)			**417**		**333**
पूर्वावधि समायोजन	26		38		33
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**21,301**		**15,449**
कराधान के लिए प्रावधान	**27**				
सम्पत्ति कर		27	27	9	9
कराधान सहित निवल व्यय			**21,328**		**15,458**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			1,633		977
कुल ईडीसी			**22,961**		**16,435**
घटाएं :					
सीडब्ल्यूआईपी को आबंटित ईडीसी/परिसम्पत्ति		20,264		14,229	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो		592	20,856	573	14,802
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।					
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**2,105**		**1,633**

टिप्पणी :– 12

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
आस्थगित कर देयता		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		55,082	52,107	41,396	38,421
आस्थगित कर समायोजन			(6,313)		(6,313)
कुल			**45,794**		**32,108**

टिप्पणी :– 13

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
पूंजीगत अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के बावत		17,871		12,430	
ii) पुनर्वास और पुनर्स्थापन (उत्तराखंड सरकार/एसएलएओ)		6,626		8,054	
iii) अन्य		20,215		23,173	
iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		179	44,891	2	43,659
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			12,576		0
उप जोड़–पूंजीगत अग्रिम			32,315		43,659
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		2,803		2,313	
अप्रतिभूत		1,452	4,255	1,542	3,855
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		2,238		2,055	
अप्रतिभूत		183	2,421	172	2,227
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		1		2	
अप्रतिभूत		0	1	0	2
निदेशकों को दिए गए ब्याज पर उपार्जित ऋण					
प्रतिभूत		3		3	
अप्रतिभूत		0	3	0	3
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु रूप में या निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		184		212	
निदेशको को		0		0	
खरीददारों को		0		0	
अन्यों को		1,423	1,607	7,161	7,373
जमा					
प्रतिभूति जमा		189		191	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		389		391	
अन्य जमा		1	579	1	583
उप–जोड़			**8,866**		**14,043**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		0
उप जोड़-अग्रिम			**8,866**		**14,043**
कुल ऋण और अग्रिम			41,181		57,702
नोटः निदेशकों द्वारा देय					
मूल			1		2
ब्याज			3		3
योग			4		5
टिप्पणीः अधिकारियों द्वारा देय					
मूल			4		4
ब्याज			5		5
योग			9		9

टिप्पणी :– 14

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
निर्माण भंडार					
(भारित और औसत मूल्य आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर)					
अन्य सिविल और भवन निर्माण सामग्री		0		2	
अन्य		0		17	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0	0	0	19
उप जोड़			**0**		**19**
पूर्व प्रदत्त व्यय		143		143	
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं		0	143	0	143
उप जोड़			**143**		**143**
योग			**143**		**162**

टिप्पणी :– 15

वस्तु सूचियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
वस्तु सूचियां					
(भारित औसत आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य जो भी कम हो)					
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री		722		185	
मैकेनिकल एवं इलैक्ट्रीकल स्टोर एवं स्पेयर्स		4,384		3,288	
अन्य (भंडारण और कल पुर्जों सहित)		299		204	
मार्गस्थ सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0		8	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0	5,405	6	3,691
घटाएं : अन्य भंडारणों के लिए प्रावधान			311		310
कुल			**5,094**		**3,381**

टिप्पणी :– 16

व्यापार प्राप्य

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
(i) **छः माह से अधिक बकाया ऋण**					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		26,493		11,629	
संदिग्ध समझे गए		0	26,493	0	11,629
(ii) **अन्य ऋण**					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		2,09,082		52,725	
संदिग्ध समझे गए		0	2,09,082	0	52,725
(iii) **विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (निवल)**					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		3,144		1,08,062	
संदिग्ध समझे गए		0	3,144	0	1,08,062
कुल			**2,38,719**		**1,72,416**

16.1 व्यापार प्राप्य में 3144 लाख रु. निवल विनियामक ऋणदार परिसंपत्ति (विनियामक परिसंपत्ति 32666 लाख रु. एवं विनियामक देयताएं 29522 लाख रु.) [पूर्व वर्ष 108062 लाख रु. (विनियामक परिसंपत्ति 123253 लाख रु. एवं विनियामक देयताएं 15191 लाख रु.), शामिल है।

टिप्पणी :– 17

नगदी एवं बैंक शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
नगदी एवं नगदी समरुप					
बैंकों में शेष (बैंकों में आटो–स्वीप, फ्लैक्सी जमाराशियों सहित)			4,095		7,690
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट स्टांप			0		0
हस्तगत नकदी			3		2
अन्य बैंकों के पास शेष					
अन्य (लिएन के तहत बैंकों में शेष जो कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं है)			37		50
योग			**4,135**		**7,742**

टिप्पणी :– 18

अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		742		630	
अप्रतिभूत		145	887	158	788
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		155		129	
अप्रतिभूत		3	158	2	131
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		3		3	
अप्रतिभूत		0	3	0	3
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		1		1	
अप्रतिभूत		0	1	0	1
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नगद या वस्तु रुप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए		419		351	
निदेशकों को		0		0	
खरीददारों के लिए		1,177		404	
अन्य के लिए		357	1,953	967	1,722
जमा राशियां					
प्रतिभूति जमा		167		145	
जमा किया गया कर		2,446		2,446	
सरकार/न्यायालय में जमा राशियां		2,104		209	
अन्य जमा राशियां		0	4,717	0	2,800
उप जोड़			**7,719**		5,445
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			8		8
कुल अग्रिम			**7,711**		**5,437**
कुल ऋण और अग्रिम			**7,711**		**5,437**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन			3		3
ब्याज			1		1
कुल			**4**		**4**
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन			2		2
ब्याज			1		0
योग			**3**		**2**

टिप्पणी :– 19

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
पूर्व प्रदत्त व्यय			1,760		1,168
उपार्जित ब्याज			15		3
योग			**1,775**		**1,171**

टिप्पणी :– 20

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत बिक्री		2,37,567		2,12,783	
जोड़ें:					
मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम		0		1,619	
घटाएं :					
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम–आस्थगित		0	2,37,567	0	2,14,402
लाभार्थियों से एफईआरवी वसूली			0		934
यू.आई./संकुचन प्रभार			1,578		1,359
परामर्श से आय			571		681
योग			**2,39,716**		**2,17,376**

20.1 कंपनी ने टिहरी एचईपी एवं कोटेश्वर एचईपी के लिए 2014–19 तक की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण करने हेतु माननीय सीईआरसी के समक्ष टैरिफ याचिका दायर की है। वर्ष 2014–19 के लिए अंतिम टैरिफ निर्धारण लंबित होने के कारण बिक्री राजस्व को लेखापरीक्षित एवं प्रमाणित एएफसी के अनुसार मान्यता दी गई तथा वित वर्ष 2014–15 का टैरिफ ईआरसी टैरिफ विनियामन, 2014 में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर जो वर्ष 2014–19 तक की अवधि हेतु लागू है, निकाला गया है।

दिनांक 27.01.2015 के सीईआरसी आदेश के आधार पर डिस्कॉम से वर्ष 2009–14 टैरिफ अवधि के लिए टिहरी एचपीपी के विरूद्ध 114035 लाख रु. बकाया राशि के रूप में वसूली की जानी है। टीएचडीसीआईएल ने महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 10(1) के अनुसार उक्त टैरिफ अवधि में उक्त बकाया धनराशि के विरूद्ध पहले ही 106200 लाख रु. की मान्यता दी है।

7800 लाख रु. की अंतर धनराशि को चालू वित्त वर्ष में राजस्व के रूप में लेखांकित किया गया है। उक्त टैरिफ आदेश के आधार पर 25800 लाख रु. विनियामक ब्याज सहित मान्यता दी गई जो उक्त आदेश का समग्र प्रभाव है। माननीय सीईआरसी के आदेश के भरोसे में इसी प्रकार 14331 लाख रु. की नियामक देयता केएचईपी की पूर्वावधि मद के रूप में भी प्रदान किया गया है।

कंपनी ने टिहरी एचईपी एवं केएचईपी दोनों के लिए वर्ष 2009–14 के लिए सीईआरसी के समक्ष टैरिफ याचिका दायर की है। सीईआरसी द्वारा जारी आदेश के आधार पर आदेश का प्रभाव उस वर्ष होगा जिस समय आदेश प्राप्त हुआ है। केएचईपी के लिए अंतिम टैरिफ आदेश राजस्व की मान्यता सीईआरसी के अनंतिम आदेश के अनुसार होगा।''

टिप्पणी :– 21

अन्य आय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक जमाराशि पर (इसमें टीडीएस 91934.00 रु. शामिल है, पिछले वर्ष 30559.00 रु.)		43		26	
कर्मचारियों से		397		348	
अन्य		20	460	29	403
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			15		1
किराया प्राप्तियां			129		124
विविध प्राप्तियां			514		355
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			319		276
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			57		36
योग			**1,494**		**1,195**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		417		333
योग			**1,077**		**862**

टिप्पणी :– 22

कर्मचारी प्रसुविधाएं व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ			32,083		24,777
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			1,982		1,697
पेंशन निधि			1,486		1,397
उपदान			3,388		1,934
कल्याण व्यय			563		378
योग			**39,502**		**30,183**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		17,064		11,329
योग			**22,438**		**18,854**

टिप्पणी :– 23

वित्तीय लागत

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
वित्त लागत					
ऋणों पर ब्याज			49,325		54,520
योग			**49,325**		**54,520**
घटाएं :					
अंतरित तथा सीडब्ल्यूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत	11.1		5,447		1,493
योग			**43,878**		**53,027**

टिप्पणी :– 24

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
किराया					
कार्यालय किराया		154		143	
कर्मचारी आवास किराया		718	872	724	867
दर एवं कर			132		175
विद्युत एवं ईंधन			1,458		1,379
बीमा			1,833		1,298
संचार			342		345
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		2,304		1,367	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		628		617	
भवन		1,112		680	
अन्य		2,290	6,334	1,440	4,104
यात्रा एवं वाहन			913		886
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			953		889
सुरक्षा			2,227		2,101
प्रचार तथा जनसंपर्क			322		172
अन्य सामान्य व्यय			2,376		4,788
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			68		17
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			593		576
अनुसंधान और विकास			154		241
परामर्शी परियोजना/अनुबंधों पर व्यय			22		35
निगम की सीएसआर एवं एसडी गतिविधियों पर व्यय			2,909		1,063
ग्राहकों को छूट			191		252
योग			**21,699**		**19,188**
घटाएं :–					
ईडीसी को अंतरित	11.1		3,844		3,818
योग			**17,855**		**15,370**

टिप्पणी :– 25

प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
अशोध्य ऋणों, ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			12,576		0
भण्डारों तथा कल–पुर्जों के लिए प्रावधान			62		0
योग			**12,638**		**0**
घटाएं :–					
ईडीसी को अंतरित	11.1		0		0
योग			**12,638**		**0**

टिप्पणी :– 26

पूर्वावधि आय/व्यय–(शुद्ध)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
विविध प्राप्ति		27	27	1	1
व्यय					
कर्मचारी प्रसुविधा व्यय		1		6	
मरम्मत एवं अनुरक्षण		18		178	
अन्य सामान्य व्यय		13		1	
मूल्यह्रास		(305)		911	
विज्ञापन और प्रचार		0		5	
विनियामक समायोजन		14,330		0	
विविध – अन्य		0	14,057	9	1,110
उप जोड़			**14,030**		**1,109**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		38		33
योग			**13,992**		**1,076**

टिप्पणी :– 27

कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			18,323		13,952
उप जोड़			**18,323**		**13,952**
कुल			**18,323**		**13,952**
संपत्ति कर					
चालू वर्ष			80		42
उप जोड़			**80**		**42**
घटाएं :–					
ईडीसी को अंतरित	11.1		27		9
योग			**53**		**33**

28. आई सी ए आई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों का अनुपालन निम्नानुसार किया गया हैं।

एएस नं.	नामावली	विवरण
एएस 1	लेखांकन नीतियों का प्रकटन	• वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुतीकरण में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, वित्तीय विवरणों में दी गई हैं। • सीएसआर एवं एसडी खर्चों के संबंध में लेखाकरण नीति को कंपनी अधिनियम, 2013 के क्रम में बदल दिया गया है। • कंपनी ने खराब एवं संदेहपूर्ण कर्जदारों/वसूलनीय इत्यादि के प्रावधानों के लिए एक नई लेखाकरण नीति बनाई है।
एएस 2	वस्तुओं का मूल्यांकन	• कंपनी जल विद्युत का उत्पादन करने में लगी हुई है। इस प्रकार इसके पास कच्चा माल/डब्ल्यू आई पी नहीं होता है। उत्पादन प्रक्रिया/आपूर्ति के लिए धारित भंडार, अतिरिक्त कल पुर्जे और उपभोज्य वस्तुओं तथा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाली खपत का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
एएस 3	नगदी प्रवाह विवरण	• नकदी प्रवाह विवरण, उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 14 में प्रकटित किए गए अनुसार एएस–3 के पैरा 18 (ख) के अनुसार अप्रत्यक्ष रीति का प्रयोग कर वित्तीय विवरण के भाग के रूप में तैयार किया जा रहा है।
एएस 4	तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाली आकास्मिकताएं और घटनाएं	• तुलन पत्र की तारीख के बाद इस तरह की कोई बड़ी रिपोर्ट करने योग्य स्थिति नहीं आई।
एएस 5	अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	• ऐसी कोई अतिरिक्त सामान्य आय/ व्यय नहीं है जिसके लिए एएस–5 के तहत प्रकटन आवश्यक है। पूर्व अवधि की मदें (आय और व्यय) नोट 26 में प्रकट कर दी गई है।
एएस 6	मूल्यह्रास लेखांकन	• लेखांकन नीति सं. 8 में कहे गए अनुसार सी ई आर सी विनियमों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है। एएस 6 के तहत यथावश्यक ऐतिहासिक लागत वर्ष के लिए मूल्यह्रास, संचित मूल्यह्रास आदि जैसे आवश्यक प्रकटन नोट सं. 10– अचल संपत्तियों में प्रकटित कर दिए गए हैं।
एएस 7	निर्माण अनुबंधों के लिए लेखांकन	• आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी ने निर्माण संबंधी कोई अनुबंध शुरु नहीं किया है। इस प्रकार यह लागू नहीं है।
एएस 8	अनुसंधान और विकास के लिए लेखांकन	• एएस वापस ले लिया गया है।
एएस 9	राजस्व को मान्यता	• कंपनी, सीईआरसी द्वारा जारी किए जाने वाले लंबित अंतिम आदेश के लंबित होने पर टैरिफ विनियमन के आधार पर निर्धारित सीईआरसी और एफसी (वार्षिक स्थिर लागत) द्वारा अनुमत्य अंतिम टैरिफ के आधार पर अपने ब्रिकी राजस्व को मान्यता देती रही है। उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 10(i) से 10 (iv) केन्द्रीय कंपनी द्वारा अपनाए गए बिकी राजस्व तंत्र के बारे में जानकारी दी गई है।

एएस नं.	नामावली	विवरण
एएस 10	अचल परिसंपत्तियां के लिए लेखांकन	• खरीदी गई/स्वयं निर्मित स्थिर परिसंपत्तियों की लागत का लेखांकन एएस–10 के अनुसार कर दिया गया है। • लेखांकन अवधि के शुरु और अंत में परिसंपत्तियों के सकल/निवल खाता मूल्य के संबंध में आवश्यक प्रकटन, अंतिम विवरण में प्रकट किया गया है जिसमें की गई वृद्धि परित्यक्त/बेची गई परिसंपत्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है।
एएस 11	विदेशी मुद्रा के विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावों का लेखांकन	• लेखांकन नीति संख्या 7 (i) से 7 (iv) के तहत विदेशी लेन–देन से संबंधित लेखांकन नीतियों का प्रकटन किया गया है।
एएस 12	सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन	• कंपनी ने वीपीएचईपी परियोजना के लिए विश्व बैंक से सिंचाई घटक और पीएचआरडी अनुदान के लिए जीओयूपी से खपत अंशदान प्राप्त किया है। एएस– 12 के अनुसार लेखांकन व्यवहार किया गया है और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 3 में प्रकटन किया गया है।
एएस 13	निवेशों के लिए लेखांकन	• कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 14	समामेलन के लिए लेखांकन	• लागू नहीं
एएस 15	कर्मचारी प्रसुविधाएं	• कंपनी की परिभाषित हित योजनाएं एवं परिभाषित अंशदायी स्कीमें दोनों के अधीन कई कर्मचारी कल्याणकारी स्कीमें हैं। • <u>परिभाषित अंशदायी योजना</u> क. सीपीएफ ख. अधिवर्षिता पेंशन निधि • <u>परिभाषित हित योजनाएं</u> क. ग्रेच्युटी ख. अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश ग. सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधा घ. सेवानिवृत्ति सामान ढुलान भत्ता
एएस 16	उधारी लागत	• कंपनी ने वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूआईपी लागत के लिए 5447 लाख रु. उधारी लागत स्वीकार की है। उधारी लागत की मान्यता को लेखांकन नीति संख्या 6 (i) से 6 (ii) में स्पष्ट किया गया है।
एएस 17	खंड रिपोर्टिंग	• वर्तमान में कंपनी उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित टिहरी और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना से जल विद्युत बनाने में संलग्न है। इसलिए खंड रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
एएस 18	सम्बद्ध पक्ष का प्रकटन	• वर्ष के दौरान संबंद्ध पक्ष का कोई लेन–देन नहीं हुआ है। तथापि प्रबंधन से जुड़े प्रमुख कार्मिकों के पारिश्रमिक के नोट संख्या 29.9 द्वारा प्रकट किया गया है।
एएस 19	पट्टे	• वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई वित्तीय पट्टा कार्यान्वित नहीं किया है। नोट संख्या 29.15 के अनुसार प्रचालन पट्टा लेन–देन का प्रकटन किया गया है।

एएस नं.	नामावली	विवरण
एएस 20	प्रति शेयर आय	• कंपनी ने कोई महत्वपूर्ण इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है, इसलिए बुनियादी और तनूकृत दोनो ई पी एस पूर्ववत रहते है तथा उन्हें लाभ और हानि के विवरण में प्रकट किया गया है।
एएस 21	समेकित वित्तीय विवरण	• टीएचडीसीआईएल की कोई सहायक/धारक कंपनी नहीं है इसलिए यह एएस 21 लागू नहीं है।
एएस 22	आय पर लगने वाले करों का लेखांकन	• वर्ष 2014–15 के दौरान 13686 लाख रु. की आस्थगित कर परिसंपत्ति लेखांकित की गई है।
एएस 23	समेकित वित्तीय विवरणों कंपनी की सहायक कंपनियों में निवेशों का लेखांकन	• कंपनी की कोई सहायक कंपनी नही है, इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 24	प्रचालन बंद करना	• वर्ष के दौरान कोई प्रचालन/गतिविधि बंद नहीं की गई है, इस प्रकार कोई प्रकटन आवश्यक नहीं है।
एएस 25	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	• हालांकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, फिर भी यह अच्छी प्रशासन प्रणाली के रुप में अंतरिम वित्तीय विवरण तैयार करती रही है।
एएस 26	अमूर्त परिसंपत्तियां	• कंपनी कंप्यूटर अनुप्रयोग साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति मानती रही है तथा कुछ समय से उनका परिशोधन करती रही है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 8 (vi) में स्पष्ट किया गया है।
एएस 27	संयुक्त खातों में ब्याज की अंतिम रिपोर्टिंग	• कंपनी की कोई कोई संयुक्त उद्यम परियोजना नहीं है। इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 28	परिसंपत्ति का इम्पेयरमेंट	• वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं की गई है।
एएस 29	प्रावधान आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां	• कपंनी, कंपनी पर वित्तीय जिम्मेदारियों की संभावना/निश्चितता तथा तदनुसार नकदी प्रवाह जैसे भिन्न कारकों को ध्यान में रख कर सर्वोत्तम मूल्यांकन करती है। अन्य मामलों पर आकस्मिक देनदारी के रुप में विचार किया जाता है।
एएस 30	वित्तीय लिखत, मान्यता और मापन	• संबंधित मानक वित्तीय लिखतों के मानक प्रस्तुतीकरण और प्रकटन के संबंध में है इसलिए ये एएस लागू नहीं है।
एएस 31	वित्तीय लिखत करार	
एएस 32	वित्तीय लिखत प्रकटन	

टिप्पणी सं. – 29 लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बचे संविदाओं की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों का निवल) 336848 लाख रु. (गत वर्ष 328584 लाख रु.) है।

2. **आकस्मिक देयताए**

(लाख ₹ में)

	2014–15	2013–14
(i) कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है : माध्यस्थम/अदालती मामले	191592	199281
(क) बैंक गारंटी 371 लाख रु. है (गत वर्ष 3778 लाख रु.) कंपनी, द्वारा दिया गया।		
(ख) अदालती मामलों में कंपनी के विरूद्ध डिक्री की गयी 351 लाख रु. (गत वर्ष 351 लाख रु.) की राशि शामिल है, जिनमें कंपनी ने पैसे जमा किए लेकिन जो विवादित हैं और अपीलों के अंतर्गत हैं।		
(ii) विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर जिसमें कंपनी द्वारा जमा किए गए 173 लाख रु. (गत वर्ष 179 लाख रु.) लाख शामिल हैं। कंपनी ने इनके बारे में अपील की हुई है।	186	180
(iii) अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि)	428	218

3. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों में कंपनी को एफडीआर/सीडीआर प्राप्त की जा रही हैं। कंपनी ने 1239 लाख रु. (गत वर्ष 1047 लाख रु.) की एफडीआर/सीडीआर, ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में भी स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 4 एवं 8 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 4159 लाख रु. (गत वर्ष 4890 लाख रु.) ''जमा, प्रतिधारण राशि'' भी प्राप्त की है।

4. कंपनी ने टिहरी शहर (टिहरी जलाशय के डूब के तहत) से सरकारी कार्यालयों और संस्थानों को पुनर्स्थापित करने के लिए नई टिहरी शहर में सरकारी कार्यालय और संस्थाओं सहित कर्मचारी आवास के लिए भवनों का निर्माण किया गया। उत्तराखंड सरकार पर अतिरिक्त जगह उपलब्ध करवाए जाने के बदले 7800 लाख रु. का दावा किया गया। इस राशि को निदेशक मंडल की वजह से अनुमोदन के साथ वसूल न किए जाने पर बट्टे खाते में डाल दिए गए।

5. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए शून्य राशि/(गत वर्ष शून्य राशि) के समायोजन के बाद पूंजीकृत उधारी लागत की राशि 5447 लाख रु. (गत वर्ष 1493 लाख रु.) है।

6. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार अधिवर्षिता पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। ट्रस्ट का गठन और पिछले वर्षों के लिए प्रदत्त मूलवेतन+दैनिक भत्ते का 10 प्रतिशत की दर से अनन्तिम राशि की अन्य औपचारिकताएं पूरा करना लंबित है।

7 (i) भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश सं. एफ सं. 8–3/89–एफ सी के तहत उत्तराखंड सरकार ने अपने 30 अक्तूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जी आई–186/7–1–2002–300 (459)/88 के तहत कोटेश्वर में 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के विपथन (डायवर्जन) का आदेश जारी किया है। 338.932 हेक्टेयर भूमि में से 337.057 हेक्टयेर पट्टे पर दी गई भूमि का विलेख कार्यान्वित कर दिया गया है तथा शेष 1.875 हेक्टयेर वन भूमि के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहीत की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन करने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा अधिग्रहीत 3255.11 हेक्टेयर की कुल भूमि में से 1866.18 हेक्टे. भूमि का कंपनी के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। शेष भूमि 1388.93 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है।

(iii) टिहरी हाइड्रो कंपलैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून, 1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ भी द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वन भूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के 24/25 जून, 2004 के पत्र सं. 8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव, वन, उत्तरांचल सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट घोषित करे। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फारेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23:सी–4/टी–18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

8. कंपनी द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि पर निर्मित किए गए 30 फ्लैट (गत वर्ष 43 फ्लैट) विभिन्न लोगों के अनधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिसे अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

9. क) सम्बद्ध पक्षकार – प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

1.	श्री आर. एस. टी. शाई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री डी. वी. सिंह	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री एस. के. बिस्वास	निदेशक (कार्मिक)
4.	श्री श्रीधर पात्रा	निदेशक (वित्त)

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़ कर) – शून्य

ग) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों को दिया जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते भविष्य निधि में अंशदान तथा अन्य लाभ और व्यय तथा स्वतंत्र निदेशकों की फीस तथा व्यय 250 लाख रु. (गत वर्ष 248 लाख रु.) है।

घ) संयुक्त उपक्रम कंपनियां– शून्य

10. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – मूल और तनुकृत

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (मूल और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

	2014-15	2013-14
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (लाख रुपये)	₹ 69115	₹ 59532
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिनका प्रयोग डिनोमीनेटर के रूप में हुआ है	मूल : 34978077 तनुकृत : 34978077	मूल : 34435027 तनुकृत : 34435027
प्रतिशेयर आय रुपये मूल तनुकृत	197.60 197.60	172.88 172.88
प्रति शेयर अंकित मूल्य	1000	1000

11. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''आय पर करों का लेखांकन'' के लेखांकन मानक 22 के अनुपालन में 13686 लाख रु. (गत वर्ष 6920 लाख रु.) जो कि आस्थगित देयता में वृद्धि दर्शाता है, को लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापस की जाएंगी, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार वापस नहीं की जा सकती है। संचयी आस्थगित कर देयताओं / परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नवत है:

₹ लाख में

क्र. सं.		31.03.2015	31.03.2014
	आस्थगित कर देयता (ए)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	0	0
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (बी)		
ii)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर अंतर	33644	26631
iii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	7309	7309
iv)	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	4461	166
v)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	6693	4315
	शुद्ध आस्थगित कर देयता (परिसम्पत्तियां) (ए–बी)	**(52107)**	**(38421)**

12 (i) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार अनुमतीय 1377 लाख रु. राशि की तुलना में वित्तीय चालू वर्ष 2014–15 के दौरान सीएसआर खर्चे के रूप में 2909 लाख रु. की राशि खर्च की है।

(ii) कंपनी ने वर्ष 2014–2015 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आर एंड डी योजना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर 390 लाख रु. (पिछले वर्ष 266 लाख रु.) खर्च किया है।

13. एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं / सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने के लिए कोई राशि शेष नहीं है।

14. प्रबंधन ने संविदाकार मैसर्स पीसीएल–इंट्राटेक लेन्हिड्रो कंसोट्रियम के माध्यम से जोखिम और लागत तंत्र के तहत कोटेश्वर एचईपी का निर्माण कार्य कार्यान्वित करवाया ताकि परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके। कंपनी द्वारा संविदा के तहत

भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक भुगतान की गई राशि जोखिम और लागत खाते में डेबिट की गई थी और उसे संविदाकार से वसूलनीय राशि के रुप में दर्शाया गया था। संविदाकार मध्यस्थता के लिए चला गया है और अवार्ड विवाद के अधीन है। इससे दुखी होकर कंपनी अवार्ड को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में रिट दायर कर दी है। मामला न्यायाधीन है। जोखिम एवं लागत लेखा के तहत यथा संभावित 11947 लाख रु. को लंबित मामलों के निस्तारण के लिए रखा गया है।

15. कंपनी ने कर्मचारियों/कार्यालयों/अतिथि गृहों/अस्थायी शिविरों और वाहनों के लिए परिसर पट्टे/किराए पर लिया है। पट्टे पर लिए गए ये प्रबंध आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय है। पट्टे पर लिए गए स्थानों के भुगतान के लिए राशि में 829 लाख रु. (गत वर्ष 901 लाख रु.) शामिल है (निवल वसूलियां)।

16. (i) कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि का निश्चित अंशदान अदा करती है जो इन निधियों का निवेश अनुमत्य प्रतिभूतियों में करता है। परिवार पेंशन स्कीम के अंशदान का भुगतान उचित प्राधिकारियों को किया जाता है। अवधि के लिए 218 लाख रु. (गत वर्ष 129 लाख रु.) के अंशदान को व्यय माना जाता है और इसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है कि ऐसे निश्चित अंशदान से सदस्य को न्यूतनम प्रतिफल दर सुनिश्चित करे जैसा कि भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार, एएस:15 (संशोधित) के अनुसार भविष्य निधि के लिए गारंटीशुदा सांविधिक ब्याज दरों के कारण हुई 31.03.2014 को देनदारी 363 लाख रु. (गत वर्ष 125 लाख रु.) बैठता है जबकि 142 लाख रु. का राजस्व अधिशेष (गत वर्ष 102 लाख रु.) था।

(ii) ''कर्मचारियों को लाभ'' के संबंध में एएस–15 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण।

31.03.2015 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के लाभ का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों का लाभ'' के संबंध में लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों के तहत 31.3.2015 को समाप्त वित वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –I निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमानः

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2006-08)	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	8.0%	8.5%
भावी वेतन वृद्धि	8.0%	6.5%

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	11049	4909	2326	4664	632
ब्याज लागत	939	417	198	396	53
विगत सेवा लागत					
वर्तमान सेवा लागत	675	328	117	462	44
भुगतान किया गया लाभ	(1188)	(1910)	(67)	(428)	(58)
बीमांकित (लाभ/हानि)	2266	2131	1118	4288	64
वर्ष के अंत में पीवीओ	13741	5875	3692	9382	735

सारणी –3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	13741	5875	3692	9382	735
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य					
निधियों की स्थिति	(13741)	(5875)	(3692)	(9382)	(735)
चिन्हित न हुए बीमांकित लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में चिन्हित शुद्ध देयता	(13741)	(5875)	(3692)	(9382)	(735)

सारणी– 4 लाभ और हानि खाते / ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
चालू सेवा लागत	675	328	117	462	44
ब्याज लागत	939	417	198	396	53
विगत सेवा लागत					
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल					
वर्ष के लिए चिन्हित निवल बीमांकित (लाभ) / हानि	2266	2131	1118	4288	64
वर्ष के लिए लाभ और हानि / ईडीसी में चिन्हित व्यय	3880	2876	1433	5146	161

17. लेखांकन नीति में परिवर्तन

क्र.सं.	नीति	प्रभाव
01.	नीति संख्या 1 में "विद्युत अधिनियम, 2013 के अनुसार सीईआर विनियम लागू" जोड़कर परिवर्तित किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं पड़ता
02.	नीति संख्या 4 (ii), लेकिन कंपनी के नियंत्रण और स्वामित्व के अधीन जोड़कर परिवर्तित किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं पड़ता
03	नीति संख्या 10 (xii) डीपीई दिशा–निर्देशानुसार गैर समाप्त योग्य निधि के रूप में लाभ का विहित : अलग निर्धारित करते हुए अनुसंधान एवं विकास पर।	कोई प्रभाव नहीं पड़ता
04	नीति संख्या 10 (xiii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा।	सी एस आर पर 187 लाख खर्चा बढ़ा है और लाभ में कमी दिखाई जा रही है।
05	नीति संख्या 10 (xiv) अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के प्रावधान पर।	उस समय बने प्रावधान से लाभ में कमी और चालू वर्ष के दौरान 20438 लाख रु. का अशोध्य ऋण बट्टा खाता तथा अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए 12638 लाख रु. के प्रावधान में बढ़ोत्तरी और 7800 लाख रु. की वसूलनीय / प्राप्ति योग्य धनराशि में कमी दर्शाना।

18. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

₹ लाख में

		2014-15	2013-14
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	8*	8
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	2	2
III.	कंपनी कानून मामलों के लिए	------	------
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	------	-------
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	5	3
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	2	3

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अध्यधीन

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रकार है

₹ लाख में

	विवरण	2014-15	2013-14
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	27	15
	परामर्श और व्यावसयिक प्रभार	17591	5060
	प्रबंधन/प्रतिबद्धता शुल्क	257	0
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	0	2802
	माल का आयात	0	342
	अन्य (अग्रिम)	4	2818
	सम्मेलन के लिए नामांकन		0
	साफ्टवेयर की खरीद		0
	अन्य	1271	
	कुल	**19149**	**11036**
ख	**विदेशी मुद्रा में अर्जन (नकद आधार पर)**	**0**	**0**
ग	**सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य**		
i)	पूंजीगत माल	0	470
ii)	अतिरिक्त पुर्जे		
	कुल	**0**	**470**
घ	**प्रयुक्त घटकों, स्टोरों और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य**		
i)	आयातित (लाख रूपए में)	60	1
	(%)	9.55	0.14
ii)	देशी (लाख रूपए में)	568	617
	(%)	90.45	99.86
ड.	**निर्यात का मूल्य**	**0.00**	**0.00**

20. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2013-14
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नही**	लागू नही**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1400 मे.वा.	1400 मे.वा.
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा) –(सीसीईए द्वारा निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2844 मे.वा.	2844 मे.वा.
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
(क)	पूर्व–वाणिज्यिक उत्पादन		
	उत्पादन	शून्य	शून्य
	बिक्री	शून्य	शून्य
(ख)	वाणिज्यिक उत्पादन		
	कुल उत्पादन	4214.182866	5582.264162
	बिक्री (गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत एवं रूपांतरण के बाद निवल)	3690.1711231	4887.0780941

** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है, अनुरक्षित कर सकती है और उत्पादन कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

21. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथावश्यक पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F6445

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन न. 06500954

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन न. 00171920

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **भाटिया एंड भाटिया**
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत भाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832

दिनांक : 31.07.2015
स्थान : नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य गण
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड** (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलन–पत्र तथा उसके साथ ही संलग्न उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) के मामले के लिए इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और कंपनी के नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, को तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लेखांकन और लेखापरीक्षण मापदंडों और मामले, जिनको अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने की आवश्यकता है, को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और क्या वित्तीय विवरण समग्र गलतबयानी से मुक्त हैं के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की समग्र गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती हैं। उन जोखिम मूल्यांकनों को बनाने में लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतिकरण पर कंपनी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, तैयार की जा सकें। लेकिन वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी तरीकों से प्रचालित करने की एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था कंपनी में है उस पर विचार व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों के द्वारा बनाए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगति के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरणों का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी लेखा परीक्षा पर राय के लिए आधार देने के पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित, यथा अपेक्षित ढंग से, सूचना देते हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखांकरण सिद्धांतों के अनुरुप सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

(क) तुलनपत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2015 के अनुसार कंपनी के कार्य के संबंध में;

(ख) हानि व लाभ विवरणों के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के लिए; और

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का नकद प्रवाह।

विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 द्वारा यथापेक्षित हम उक्त आदेशों के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में विवरण संलग्न करते हैं।

2. भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम–2013 की धारा 143 की उपधारा (5) की शर्तों पर जांच वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिनका अनुपालन अनुलग्नक–।। में दिया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं देखी हैं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में बहियों की हमारी छानबीन से अब तक प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं।

   (ग) इस रिपोर्ट में शामिल किया गया तुलनपत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा विवरणों के अनुरूप है।

   (घ) हमारी राय में एक मात्र उल्लिखित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरुप है।

   (ड.) निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर 31 मार्च, 2015 को निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लाए जाने पर 31 मार्च, 2015 तक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में कोई भी निदेशक अनर्ह नहीं है और

   (च) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में हमारी राय में और बेहतर जानकारी के साथ और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार शामिल किया जाना है–

      i. कंपनी ने इसके वित्तीय स्थिति पर इस वित्तीय विवरण पर लंबित कानूनी अड़चनों के प्रभाव का खुलासा कर दिया है– वित्तीय विवरण की टिप्पणी 29.2 का संदर्भ लें;

      ii. कंपनी के पास गौण संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं में कोई भी पहले से अनुमानित महत्वपूर्ण घाटा नहीं है।

      iii. कंपनी को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में किसी प्रकार की राशि को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का फर्म पंजीकरण सं. 003202 एन

(अनंत भाटिया)
एफसीए, साझेदार
सदस्यता सं. 507832

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2015

अनुलग्नक-I

टीएचडीसी इंडिया लि. की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक I का भाग

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक I)

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. (क) कंपनी ने सामान्य रूप से अचल परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है। परिसंपत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है तथा सत्यापन के दौरान जानकारी में आई विसंगतियों को खाता बहियों में उचित प्रकार से दर्शाया गया है, हालांकि ये विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है।

ii. (क) वस्तुसूचियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में वस्तुसूची की वास्तविक जांच प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर की गई है।

(ख) कंपनी के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा अपनाई गयी वस्तुसूची की जांच की प्रक्रिया उचित तथा पर्याप्त है।

(ग) कंपनी ने वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रखा है तथा वस्तुसूचियों के भौतिक सत्यापन के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ–3 का खंड–(iii) कंपनी पर लागू नहीं है।

iv. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वस्तुसूची एवं अचल परिसंपत्तियों की खरीद तथा कंपनी के राजस्व के मामले में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी के आकार और उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप काफी हैं। लेखापरीक्षा के दौरान हमें न तो इस बात का कोई पता चला और न ही ऐसी कोई सूचना मिली कि अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में प्रमुख कमजोरियों को ठीक करने में लगातार असफल रही हो।

v. कंपनी ने जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–73 से 76 तक तथा उसमें निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

vi. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा – 148 (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। वर्ष 2013–14 के लिए लागत लेखा परीक्षा पूर्ण की गई है तथा वर्ष 2014–15 के लिए लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पहले ही की गई है। लेकिन वर्ष 2014–15 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रगति पर है।

vii. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्यनिधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवा कर तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2015 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित व्यापार कर जमा नहीं किए गए हैं।

निर्धारण वर्ष	धनराशि (₹ लाख में	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
2007-08	1.11	व्यापार कर	टीएचडीसीआईएल ने दिनांक 28.2.2011 के निर्धारण आदेश में की गई मांग के विरुद्ध अपील दायर की है और अपील की अभी सुनवाई होनी है।

ग. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई भी धनराशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

viii. कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई संचयी हानियां नहीं हुई हैं तथा वित्त वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के अंतर्गत और ठीक इसके पहले वाले वर्ष में भी कोई नकद हानियां नहीं हुई थीं।

ix. कंपनी ने हमारे द्वारा अपनायी गयी लेखापरीक्षा पद्धति के आधार पर तथा अभिलेखों के अनुसार वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्था या बैंक की देय राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की है।

x. हमें दी गयी सूचना के अनुसार कंपनी ने दूसरे लोगों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

xi. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सावधि ऋण जिस काम के लिए थे वर्ष के दौरान उसी काम के लिए उनका इस्तेमाल किया।

xii. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी को जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन द्वारा हमें इस तरह के मामले की कोई सूचना दी गयी है।

कृते भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का
एफआरएनः 003202 एन

(अनंत भाटिया)
एफसीए, साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2015

टीएचडीसी इंडिया लि. के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का एक भाग अनुलग्नक–II

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–II)

क्र. सं.	निर्देश	हमारी रिपोर्ट	की गई कार्रवाई	लेखांकन एवं वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	यदि कंपनी विनिवेश के लिए चयनित की गई है तो परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के मामले में पूर्ण स्थिति (अमूर्त परिसंपत्तियां एवं भूमि सहित) और देयताओं (प्रतिबद्ध एवं सामान्य आरक्षित सहित) का विनिवेश प्रकिया परीक्षण किया जाए जिसमें वर्तमान अवस्था के तरीके और प्रतिशतता स्थिति शामिल है।	टीएचडीसी इंडिया लि. को विनिवेश के लिए चयनित नहीं किया गया है। तथापि यह भारत सरकार के द्वारा विनिवेश के लिए विचाराधीन है। पूर्व शर्त के रूप में, एओए और एमओए को संशोधित करने का प्रयास किया गया है। इस दस्तावेज में संशोधन करने के लिए और शेयरों के विभाजन करने के लिए अग्रिम कार्रवाई हेतु सहमति प्राप्त करने के लिए पुनरीक्षित एओए और एमओए मसौदा उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को अग्रसारित कर दिया गया है। इसलिए परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यांकन की स्थिति अभी नहीं आई है।	कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।	शून्य
2.	कृपया बताएं कि ऋणों/ब्याज इत्यादि के क्या अधित्याग/बट्टे खातो के कोई मामले हैं। यदि हां तो उसके कारण बताएं और उसमें शामिल राशि बताएं।	हां, कंपनी ने 23.05.2015 को संपन्न 175वीं बैठक में निदेशक मंडल की अनुमति से 78.01 करोड़ रु. बट्टे खाते में डाल दिए हैं। बट्टे खाते में डालने का कारण संक्षिप्त में नीचे दिया गया है– सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं और कर्मचारी आवासों के भवनों का निर्माण कार्य तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था। टीएचडीसी इंडिया लि. को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्य जारी रखने की सलाह और सरकारी कार्यालयों/संस्थानों के स्थानांतरण पूर्ण होने के बाद राशि जारी करने का आश्वासन दिया था। निर्माण, शिफ्टिंग और पुनर्स्थापन चरणबद्ध तरीके से 1998–99 तक निरंतर चलता रहा। वर्ष 2000 में राज्य के अस्तित्व में आ जाने पर संपत्ति उत्तराखंड राज्य सरकार को सौंप दी गई। इस प्रकार यह मांग उत्तराखंड राज्य के समक्ष उठाई गई जिसमें उत्तराखंड सरकार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि संपत्ति तो तत्कालीन उ.प्र. सरकार से इस राज्य को बंटवारे के फलस्वरूप मिली है। इसलिए टीएचडीसी को दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। मामले पर सचिव, विद्युत/संयुक्त सचिव, विद्युत के द्वारा कई बैठकों की अध्यक्षता के दौरान चर्चा की गई थी। किसी भी फर्म ने भुगतान जारी करने का कोई आश्वासन/प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। इस धनराशि को अवसूलनीय मान लिया गया। इस प्रकार इस मामले को निदेशक मंडल की 175वीं बैठक के समक्ष प्रस्तुत कर चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 की बहियों में बट्टे खाते में डाल दिया गया।	लाभ और हानि लेखा से राशि घटा दी गई।	शुद्ध लाभ 78.01 करोड़ रुपए कम हो गया।
3.	क्या तीसरी पार्टियों के पास रखी गई सामग्री और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से भेंट के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकार्ड रखा गया है।	तीसरी पार्टियों के पास पड़ी सामग्री के संबंध में उचित रिकार्ड रखा जा रहा है। सरकार/अन्य किसी दूसरे प्राधिकरणों से कोई परिसंपत्तियां प्राप्त नहीं की गई हैं।	कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।	शून्य
4.	पूरे विधिक मामलों (विदेशी और स्थानीय) पर खर्चे के लिए एक मानीटरिंग तंत्र का लंबित/प्रभावशाली और मौजूद होने के कारणों सहित लंबित विधिक/माध्यस्थम मामलों की समयवार विश्लेषण पर रिपोर्ट	31 मार्च, 2015 को समय वार दर लंबित विधिक मामलों का विवरण नीचे दिया गया है– **अवधि** — **मामलों की संख्या** 0–1 वर्ष — 242 1–3 वर्ष — 97 3 वर्ष एवं उससे ऊपर — 134 कंपनी के द्वारा तय किए गए इन विधिक मामलों से संबंधित व्यावसायिक शुल्क मामला दर मामला के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तय किए गए हैं। विधिक मामलों का पिछले 3 वर्षों से लंबित होने का मुख्य कारण सुनवाई का पूरा नहीं होना है, इस वजह से ये मामले विभिन्न विधिक फोरमों के समक्ष काफी दिनों से निस्तारण के लिए लंबित हैं इनके त्वरित निस्तारण के लिए सघन रूप से इन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।	वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी सं. 29.2 में समुचित आकस्मिक देयता का खुलासा कर दिया गया है।	शून्य

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.07.2015

(अनंत भाटिया) एफसीए, साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832
कृते भाटिया एंड भाटिया
सनदी, लेखाकार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का एफआरएनः 003202 एन

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

गोपनीय

सख्याः **No. MAB-III/Rep/01-17/A/cs-THDC/2015-16/Vol.V/927**

Hkkjrh; y[kk ,oa y[kkijh{kk foHkkx
कार्यालय
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–**III**
नई दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT
& EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III,
NEW DELHI

दिनांक / **Dated 09th September, 2015**

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
ऋषिकेश।

विषयः **31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वार्षिक लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।**

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियॉ अग्रेषित कर रही हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीया,

ह./-
(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th Floor, Annexe Building, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002
Tel : 011 - 23239227, Fax : 011 - 23239211; E-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 31 जुलाई, 2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया बताया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी उल्लेखनीय तथ्य नहीं आया है जिसके कारण इस पर या सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कुछ टिप्पणी की जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह./-
(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा
परीक्षा एवं पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 सितम्बर, 2015

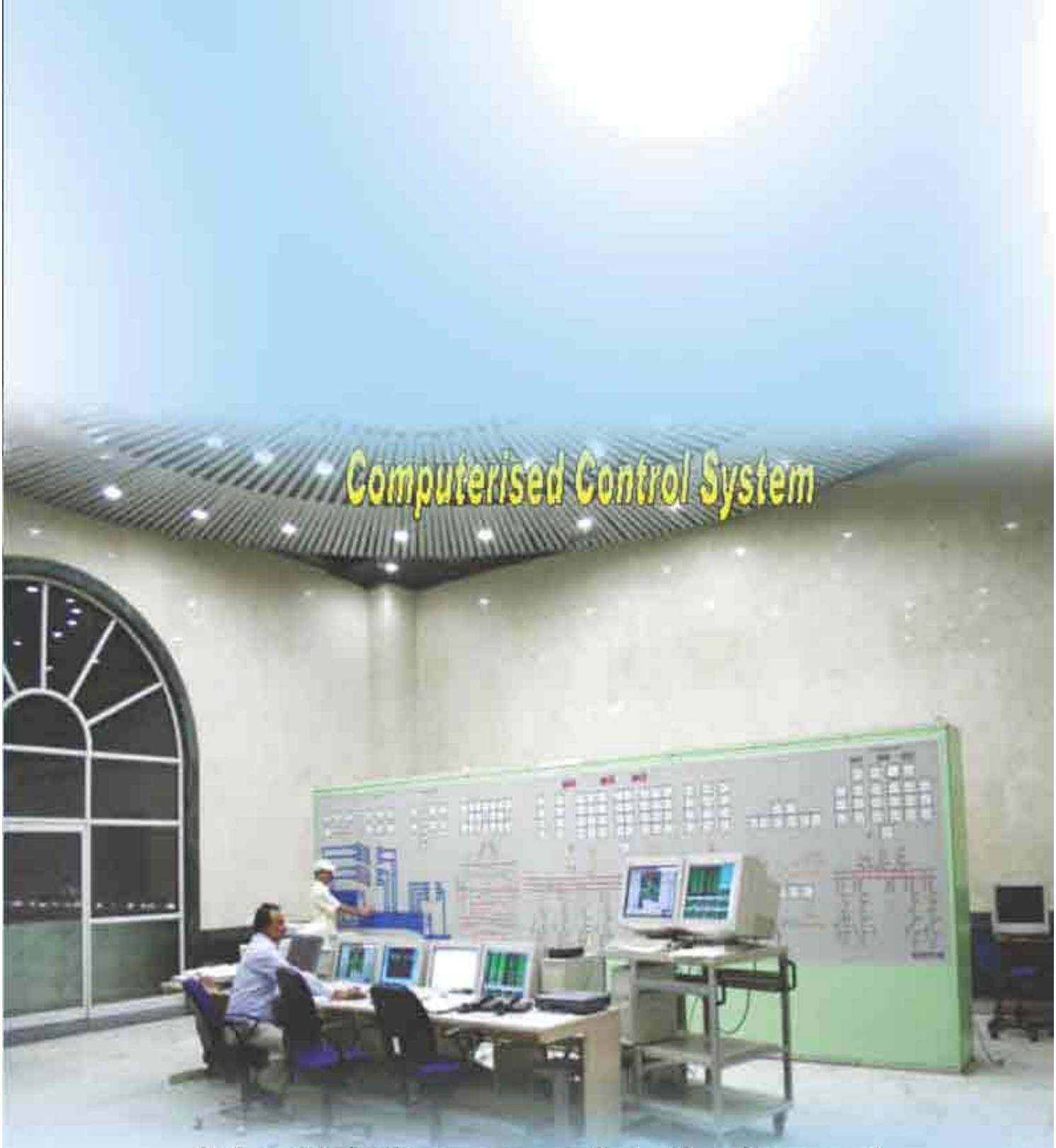

टिहरी एचपीपी के भूमिगत पावर हाउस की कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली
Computerised Control System of Underground Power House of Tehri HPP

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

THDC INDIA LIMITED

(भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)

गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201–(उत्तराखंड)

Ganga Bhawan, Pragtipuram, By Pass Road, Rishikesh-249201-(Uttarakhand)

Ph. : (0135) 2435842, 2439309 & 2437646 Fax : (0135) 2439442 & 2436781

CIN: U45203UR1988GOI009822 Website : http://www.thdc.gov.in

www.canaac.in (M) 9810213216